न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 भालेरी

अनुवान लिच्छूराम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 380 / 2025
निर्णय दिनांक 18/09/25

लिच्छूराम पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 भालेरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 593 खसरा सं. 1153/263 तादादी 1.9473 हैक्ट. एवं खाता संख्या 442 खसरा नं. 618/233 तादादी 5.0074 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम भालेरी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम लिछमणराम पुत्र सुरजाराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम लिच्छूराम पुत्र सुरजाराम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम लिच्छूराम पुत्र सुरजाराम किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम भालेरी भूमि तहसील तारानगर के खाता संख्या 593 खसरा सं. 1153/263 तादादी 1.9473 हैक्ट. एवं खाता संख्या 442 खसरा नं. 618/233 तादादी 5.0074 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम लिछमणराम पुत्र सुरजाराम Delete कर इसके स्थान पर लिच्छूराम पुत्र सुरजाराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/09/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 भालेरी में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner